

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) स.प.अ / 296 / 2025

दिनांक : 10.10.2025

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)स.प.अ/292/2025 दिनांक 07.10.2025 को निरस्त करते हुए श्रीमती हिमांकनी गौड़ (RJ00345), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-04, अलवर को दिनांक 13.10.2025 से 24.10.2025 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 11.10.2025 से 12.10.2025 एवं 25.10.2025 से 26.10.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गौड़ की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-04, अलवर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण - II)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/50/2000/ 2029

दिनांक, 10.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-04, अलवर को उनके पत्रांक 633 दिनांक 07.10.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती हिमांकनी गौड़ (RJ00345), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-04, अलवर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, अलवर।


सहायक रजिस्ट्रार